न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 06/2022 निर्णय दिनांक :–28.07.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र

अब्दुल सलाम पुत्र हाजी भुन्दु खां जाति मुसलमान निवासी लुहारो का मोहल्ला, बम्बोर दरवाजा पुरानी टोंक राज0 हाल इन्दोदा तह. दुनी –प्रार्थी–

बनाम

1.कालूराम पुत्र दुर्गालाल जाति कुम्हार निवासी इन्दोदा तहसील नगरफोर्ट /दूनी जिला टोंकर राज0

2.तहसीलदार जी नगरफोर्ट राज.

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251–ए राज. टि. एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 820 रकबा 1.55 है0, ख. नं. 821/910 रकबा 0.85 है0, ख. नं. 855 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 856 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 857 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 858 रकबा 0.05 है0 व ख. नं. 859 रकबा 0.11 है0 गे. मु. चाह, वाके ग्राम इन्दोदा तहसील देवली में स्थित है और मोके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत ख. नं. 820, 821/910, ख. नं. 855 व ख. नं. 859 गे मु. चाह पर पिछले 30–40 वर्षो से लगातार ख. नं. 481 की पूर्वी मेर पर से होकर आता–जाता रहा है और वर्तमान में भी आ जा रहा है प्रार्थी अपने कृषि सम्बन्धित औजार, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि इसी रास्ते से अपनी खातेदारी के खेत व कुऐं तक ले जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत में आने–जाने के लिऐ ख. नं. 481 मे से प्रार्थी आ जा रहा है वही रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रतिपक्ष ने प्रार्थी के आने–जाने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेतों में जाने जाने मे काफी परेशानिया हो रही है, बोने में काफी परेशानी हो रही इस कारण प्रार्थी को ख. नं. 481 रकबा 1.14 है0 – भूमि के पूर्वी मेर के सहारे सहारे 20 फिट चौड़ा रास्ता न्यायहित में दिलवाया जाना आवश्यक है उक्त रास्ते को सॅलग्न नक्शा ट्रेस में अक्षर ए ही सी–डी–से दर्शाया गया है जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है । प्रतिपक्ष नं. 1 के पिता दुर्गालाल पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार का देहान्त हो

चुका है वर्तमान में उक्त भूमि दुर्गालाल की खातेदारी में अंकित है प्रतिपक्षी नं. 1 उसका एक मात्र वारिस है। अभी तक प्रतिपक्षी नं. 1 के नाम फोती का नामान्तरकरण नहीं खुला है। दुर्गालाल का वारिस होने के कारण उसे उक्त प्रार्थनापत्र मे पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी की खातेदारी के खेतो में आने जाने के लिऐ कोई रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थी को न्यायहित में नक्शा ट्रेस अक्षर ए–बी–सी स्थान से खेतो में आने–जाने के लिऐ रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी डी. एल. सी. रेट से दुगनी राशि जमा कराने को तैयार है । प्रतिपक्षी नं0 2 जमीन का लेण्ड होल्डर है इस कारण उसे पक्षकार बनाया गया विवादित आराजिया व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत आवेदन का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है । आवेदनप अ. धारा 251–ए– राज0टि0एक्ट के तहत पूर्णकोर्ट फीस पर श्रीमान की सेवामें पेश है । अतः प्रार्थी की अधियाचना है कि :– अः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ख. नं. 481 में से पूर्वी मेर के सहारे सहारे 20 फिट चौड़ा रास्ता जिसे सॅल्गान नक्शे में ए बी सी डी से दर्शया गया है, दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे। और उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में ट्रेस में दुरूस्ती की जावे। प्रार्थी डी–एल–सी– रेट की दुगनी राशि जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 2 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी अब्दुल सलाम पुत्र हाजी भुन्दु खां जाती मुसलमान साकिन टोक की खातेदारी आराजी तक पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। ग्राम इन्दोदा का खसरा नम्बर 481 रकबा 1.14 है0 किस्म बारानी अप्रार्थी कालूराम पुत्र दुर्गालाल कुम्हार कि खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त भूमि में से नवीन रास्त प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते कि चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 130 मीटर तथा इस प्रकार क्षेत्रफल 780 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की दर 387672 प्रति वर्गमीटर है। नियमानुसार दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 780 गुणा 36.7672 गुणा 2 = 57,356. 832 रूपये होगी। आवेदक अब्दुल सलाम पुत्र हाजी मुन्दु खा. जाती मुसलमान साकिन टोंक की भूमी खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी प्रमाणित नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी खसरा नम्बर 481 से रास्ता चाहता है। परन्तु उक्त रास्ता इन्दोदा ग्राम से चारनेट बालाजी सड़क से जाकर मिलेगा। प्रस्तावित रास्ते और ग्रेवल सडक के मध्य अन्य भूमी दर्ज है। जो भूदान बोर्ड जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी नकल जमाबन्दी सलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य 09 पेड नीम, 03 पेड देशी बबूल के स्थित है। जिनकी कीमत लगभग 10000 रुपये है। उक्त पेड़ों को प्रति पेड 03 पेड़ लगाने की अन्डर टेकिंग एवं कीमत

अप्रार्थी को दिये जाने पर ही हटाया जाना संभव होगा। अप्रार्थी उक्त रास्ता प्रतिकर राशि की प्राप्ति पर देने के लिए सहमत नहीं है। परन्तु जमीन के बदले जमीन देने के लिए ही सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित नहीं है। वस्तुतः मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार करवाकर उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस ,डीएलसी की प्रमाणित प्रति मौका रिपोर्ट सलग्न कर रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान कि सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि न तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और न ही तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह बताया है कि प्रस्तावित रास्ता किस रिकॉर्डेड गै. मु. रास्ते से जुड़ रहा है। तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.01.23 के साथ संलग्न जमाबन्दी ग्राम इन्दोदा के ख. नं. 481 के अवलोकन से जाहिर है कि दुर्गालाल की मृत्यु को फोती नामान्तकरण खुल चुका है जिसके वारिसान अकेला कालू प्रजापत ही नहीं है बल्कि मृतक दुर्गालाल की पत्नी गुलाब देवी भी रिकॉर्डेड खातेदार है जिसको प्रार्थी ने आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते और ग्रेवल सडक के मध्य अन्य भूमी दर्ज है, जो भूदान बोर्ड जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसे प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को रिकॉर्डेड गै. मु. रास्ते से जुड़ना नही बताने व भू दान यज्ञ बोर्ड जयपुर की भूमि बीच में आने व दुर्गालाल की पत्नी गुलाब देवी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली